न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– रघुनाथ, आर0ए0एस0

1– मुकदमा संख्या 52/2018 तारीख रजु 11–11–18 कि0मु0 दर0212आटीएक्ट

उनवान

1–श्रीमति नीमल सिंह पत्नि आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर –प्रार्थीया

बनाम

1– श्रीमति सायरकवंर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी कुश्तला तहसील व जिला स0मा0

2–राजेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी कुश्तला तहसील व जिला स0म

3–फरीदाबानो पत्नि सदरूद्दीन खां जाति मुसलमान नि0 पचीपल्या तह0वजिला सम

4–रफीसन पत्नि अजरूद्दीन जाति मुसलमान नि0पचीपल्या स0मा0

5–सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर –अप्रार्थीगण

2–मुकदमा संख्या 53/18 ता0रजू 11–10–18

1– राजेन्द्रसिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत नि0कुश्तला तह0 जिला स0मा0 –प्रार्थी

बनाम

1–सरकार जरिये अतिरिक्त जिला कलेक्टर भूमि अवाप्ति अधिकारी(एनएच, 148एन:) सवाई माधोपुर

2–फरीदाबानो पत्नि सदरूद्दीन खां जाति मुसलमान

3–रफीसन पत्नि अजरूद्दीन जाति मुसलमान निवासीयान पचीपल्या तह0स0मा0

4–नीलमसिंह पत्नि आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी करमोदा तह0 स0मा0

5–सायरकवंर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी कुश्तला तह0स0मा0

6–तहसीलदार सवाई माधोपुर –अप्रार्थीगण

प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तगर्त धारा 212 आरटीएक्ट

अभिभाषकगण

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा , एडवोकेट– प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 4 नीलमसिंह श्री

श्रीदाससिंह , एडवोकेट–अप्रार्थी सं08,2 एंव प्रार्थी सं01

श्री सत्येन्द्रगोयल ,एडवोकेट–

श्री राधेश्याम वैष्णव,एडवोकेट–

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक : 24–09–19

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 52/2018 एंव प्रकरण संख्या 53/2018 में प्रार्थीया नीलम सिंह ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट का इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कुश्तला के खाता संख्या 529 में अंकित कृषि भूमि खसरा नंबर 251 रकबा 2.26 है0, ख0नं0 252 रकबा 2.10है0 ,ख0नं0 255 रकबा 1.80है0 ,ख0नं0 257 रकबा 2.10है0,कुल किता 4 कुल रकबा 8.26है0 कृषि भूमि राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2072से 2075 में प्रार्थीया एवं विपक्षी गणो के नाम से संयुक्त खातेदारी में 1/4 हिस्से के अनुसार दर्ज है , लेकिन पर भौतिक हाल ट्रेसशीट में अंकित खसरा नंबरो पर भौतिक कब्जा प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में अंकित विवरण के अनुसार है , वर्तमान में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 21–8–18 को राजस्थान पत्रिका में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के प्रार्थीया ने विपक्षीगणो से मुताबिक विपक्षी से मुताबिक कब्जा तहसील से चल कर विभाजन करवाने के लिये कहा तो विपक्षीगणो द्वारा विभाजन करवाने से इंकार कर दिया जबकि प्रार्थीया ने सन् 2004 से ख0 नं0 255 में अमरूदो का बगीचा लगा रखा है एंव ख0 नं0 255 में से रकबा 1.08है0 अवाप्त किया जा रहा है । इसलिये विपक्षीगण बिना भौतिक कब्जे के प्रार्थीया के कब्जे की भूमि का मुआवजा राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के कारण प्राप्त करना चाहते है । इसलिये विपक्षीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि राजस्व ग्राम कुश्तला में स्थित प्रार्थी के भौतिक कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 255 रकबा 1.80है0 में रोड हेतु अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त नही करें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो की तलबी जरिये नोटिस की जाकर विपक्षगणो द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया । विपक्षी राजेन्द्रसिंह ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 2 के भौतिक कब्जे कि कृषि भूमि ख0नं0 257 व 255 में होकर 6 लेन हेतु भूमि अवाप्ति की जा रही है ,एवं विकय पत्रो में खरीद शुदा भूमि का इन्द्राज है ,इसलिये मुताबिक कब्जा प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में आपत्ति नही है । विपक्षी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी होना स्वीकार किया है ,लेकिन विपक्षीगणो ने यह तथ्य स्पष्ट नही किया हैं कि ट्रेसशीट में अंकित किस ख0नं0 पर भौतिक कब्जा है । इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी होना स्वीकार किया है ,एंव

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जवाब के मद नंबर 2 में 205 रकबा 1.80है0 रोड अवाप्त होना दर्ज किया है , लेकिन जमाबंदी व प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 205 का अकंन भी नही है ,विपक्षी ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि हाल ट्रेसशीट के अनुसार किस खसरा नंबर पर काबिज है एवं मुआवजा समान रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है।इसलिये प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

इसी प्रकरण के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 53/2018 उनवानी राजेन्द्रसिंह बनाम सरकार वगैरहा का इसी विवाद से संबंधित होने के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी राजेन्द्र सिंह के भौतिक कब्जे कास्त की कृषि भूमि राजस्व ग्राम कुश्तला के खाता संख्या 529 में स्थित ख0नं0 257 रकबा 2.10है0 पर भौतिक कब्जा होने के कारण विपक्षी संख्या 1 द्वारा एन0एच0 6 लेन के लिये ख0नं0 257 मे से रकबा 20.01है0 भूमि अवाप्त की जा रही है , विपक्षी सं0 1 मुताबिक कब्जा एंव ट्रेसशीट के अनुसार खसरा नंबर 257 का मुआवजा जमाबंदी में अंकित इन्द्राज के अनुसार अन्य सहखातेदारो को भी अदा करने पर आमादा होने पर प्रार्थी ने विपक्षीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विपक्षीगणो की तलबी जरिये नोटिस की गई ,विपक्षी संख्या 1 व 6 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नही किया , विपक्षी संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की होने के कारण मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होने के साथ साथ यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं किया कि मुताबिक ट्रेसशीट के विपक्षीगणो का किस खसरा नंबर पर भौतिक कब्जा है । विपक्षी संख्या 4 ने मुताबिक कब्जा प्रार्थी को मुआवजा अदा करने बाबत सहमति देने के साथ साथ अन्य विपक्षीगणो का कब्जा मुताबिक ट्रेसशीट के अनुसार है । इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सहमति भी दी है । विपक्षी संख्या 5 ने मुताबिक जमाबंदी में दर्ज अभिलेख के अनुसार मुआवजा दिये जाने के साथ साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण संख्या 52/2018 एंव 53/2018 में मुख्य विवाद भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ट्रेसशीट के अनुसार भौतिक कब्जा के बजाय जमाबंदी में दर्ज सभी सहखातेदारो को रोड सीमा के लिये अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा देने से संबंधित विवाद होने के कारण उभय पक्षो के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का सूक्ष्मता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्रो का भी गहनता से अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत दलीलो पर मनन किया गया । प्रार्थना पत्र के निस्तारण किये जाने से संदर्भ में भूमि अवाप्ति हेतु अवाप्त की

उप जिला कलेक्टर

जाने वाली कृषि भूमि ट्रेसशीट के अनुसार भौतिक कब्जे के अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण किस सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में सफल रहे है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा करने के संबंध में उक्त तीनो बिन्दु भी बखुबी साबि होते है ।

प्राईमाफेसी – प्रार्थीया नीलमसिंह व राजेन्द्रसिंह का यह कथन रहा है कि मुताबिक ट्रेसशीट के अनुसार मोके पर खसरा नंबर 255 पर नीलम सिंह का एंव ख0नं0257 पर राजेन्द्रसिंह का कब्जा है । भारत के राजपत्र में प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार खसरा नंबर 255 रकबा 1.08है0 में से एवं ख0 नं0 257 रकबा 2.10है0 मे से रकबा 2.01है0 भूमि अवाप्त की जा रही है । यह भूमि प्रार्थीगणो के भौतिक कब्जे की होने के साथ साथ मौके पर अमरूदो का बगीचा लगा हुआ है । जबकि विपक्षीगणो ने विवादित भूमि को संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकार किया है ,लेकिन यह स्पष्ट नही किया है कि ट्रेसशीट के अनुसार किस खसरा नंबर पर काबिज है ,इसलिये प्राईमाफेसाई केस मुताबिक भौतिक कब्जा प्रार्थीगणो के पक्ष में पूर्णरूप से साबित होनेके कारण विपक्षीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

सुविधा का संतुलन – प्रार्थीगणो का मुताबिक ट्रेसशीट खसरा नंबर 255, 257 पर भौतिक कब्जा होने के कारण अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अन्य सहखातेदारो को भुगतान किया जाता है तो प्रार्थीगणो को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा इसलिये सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगणो के पक्ष में बखुबी साबित होता है ।

अपूर्णनीय क्षति – प्रार्थीगणो के पक्ष में प्राईमाफेसी एंव सुविधा का संतुलन का बिन्दु पूर्ण रूप से साबित होने के कारण अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगणो के पक्ष में साबित होता है । क्योकि विवादित भूमि खसरा नंबर 255 , 257 पर ट्रेसशीट के अनुसार प्रार्थीगणो का ही भौतिक कब्जा होने के साथ साथ मौके पर अमरूदो का बगीचा व तारो की फेंसिंग प्रार्थीगणो के भौतिक कब्जे को दर्शाने के कारण विपक्षीगणो द्वारा जमाबंदी में इन्द्राज होने के आधार पर रोड के लिये अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया जाता है तो प्रार्थीगणो को अपूर्णनीय क्षति होने के कारण यह बिन्दु भी प्रार्थीगणो के पक्ष में बखूबी साबित होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया नीलमसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 52/2018 एंव राजेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 53/2018 अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणो को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पत्र पाबन्द किया जाता है कि जब तक मुताबिक कब्जा वाके ग्राम कुश्तला में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 529 में अंकित खसरा नंबर 251 रकबा 2.26है0 ,ख0नं0 252 रकबा 2.10है0 , ख0नं0 255 रकबा 1.80है0 ,ख0नं0 257 रकबा 2.10है0 ,कुल किता चार

उप जिला कलेक्टर

रकवा 8.26है0 का विभाजन (तकासमा)विधिवत नही हो जावे तब तक खसरा नंबर 255 ,257मे से सडक मार्ग हेतु अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का मुआवजा किसी भी सहखातेदार को अदा नही किया जावे । यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24-09- 2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की एक प्रति अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर)सवाई माधोपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे । निर्णय की एक-एक प्रति प्रकरण संख्या 52/2018 एंव प्रकरण संख्या 53/2018 में संलग्न की जावे ।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.19 12:50:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: